

**बिहार कर्मचारी चयन आयोग**  
**पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14**

**इन्टर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली प्रथम इन्टर  
स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित विज्ञापन**

विज्ञापन संख्या-06060114

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि-01.09.2014 तथा ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि-11.10.2014

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन्टर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु प्रथम इन्टर स्तरीय परीक्षा आयोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जायेगी। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा का तथा द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा का होगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा दो श्रेणी के पदों के लिए आयोजित की जायेगी। श्रेणी-(A) के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा के अतिरिक्त शारीरिक क्षमता जाँच भी होगी। श्रेणी-(B) के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी तथा जिन पदों के लिए व्यावहारिक परीक्षा निर्धारित है, उन पदों लिए लिखित परीक्षा के अतिरिक्त अलग से नियमानुसार व्यावहारिक परीक्षा भी आयोजित की जायेगी। श्रेणी-(B) के पदों के लिए शारीरिक क्षमता जाँच की आवश्यकता नहीं होगी।

**श्रेणी (A) शारीरिक क्षमता जाँच वाले पद :-**

विभागों से प्राप्त रिक्तियों की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	पद का नाम	वेतनमान्	विभाग का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या						TOTAL POST
					GEN	BC	MBC	SC	ST	WBC	
01	वनरक्षी	5200-20200+2000	पर्यावरण एवं वन विभाग	इन्टर	363	02	182	109	05	32	693
02	आशु सहायक अवर निरीक्षक	5200-20200+2400	पुलिस महानिदेशक का कार्यालय	इन्टर+श्रुतलेखन तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण	42	17	20	05	0	03	87
03	टंकक सहायक अवर निरीक्षक	5200-20200+2400	पुलिस महानिदेशक का कार्यालय	इन्टर तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण	39	09	14	13	01	02	78
04	अधिनायक अनुदेशक		गृह (विशेष) विभाग	इन्टर	61	15	22	19	01	04	122
<b>कुल</b>					<b>505</b>	<b>43</b>	<b>238</b>	<b>146</b>	<b>07</b>	<b>41</b>	<b>980</b>

इन पदों पर नियुक्ति के लिए शारीरिक योग्यता निम्न प्रकार से है:-

**1. पद का नाम:- वनरक्षी**

**शारीरिक योग्यता:-**

कोटि	न्यूनतम उँचाई	वजन (न्यूनतम)	सीना (न्यूनतम)		पैदल चालन
			बिना फुलाये हुए	फुलाकर	
अनारक्षित/पि0व0/अ0पि0व0 (पुरुष)	165	-	81	86	4 घंटा में 25 कि.मी.
अनुसूचित जाति/जनजाति (पुरुष)	160	-	79	84	4 घंटा में 25 कि.मी.
महिला (अनु0जाति/अनु0ज0जाति)	155	-	-	-	4 घंटा में 14 कि.मी.
महिला (अनारक्षित/पि0व0/अ0पि0व0)	160	-	-	-	4 घंटा में 14 कि.मी.

**2. पद का नाम:- आशु सहायक अवर निरीक्षक, टंकक सहायक अवर निरीक्षक एवं अधिनायक**

**अनुदेशक**

**शारीरिक योग्यता:-**

कोटि	न्यूनतम उँचाई	सीना (न्यूनतम)		लम्बी कूद (न्यूनतम)	उँची कूद (न्यूनतम)	गोला फेंक (न्यूनतम) (16 पौंड का)	दौड़
		बिना फुलाये हुए	फुलाकर				
अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग	165 से0मी0	81 से0मी0	86 से0मी0	12 फीट	04 फीट	16 फीट	01 मील की दौड़ 06 मिनट में
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	162 से0मी0	81 से0मी0	86 से0मी0	12 फीट	04 फीट	16 फीट	01 मील की दौड़ 06 मिनट में
महिला (सभी वर्गों के लिए)	155 से0मी0	--	--	09 फीट	03 फीट	12 पौंड का गोला 10 फीट	01 कि0मी0 की दौड़ 06 मिनट में
अनुसूचित जाति/ जनजाति	160 से0मी0	79 से0मी0	84 से0मी0	12 फीट	04 फीट	16 फीट	01 मील की दौड़ 06 मिनट में

**श्रेणी(B) वैसे पद जिन पर नियुक्ति हेतु शारीरिक क्षमता जाँच की आवश्यकता नहीं है:-**

**विभागों से प्राप्त रिक्तियों की स्थिति निम्न प्रकार से है:-**

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान्	विभाग का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	तकनीकी योग्यता	वांछित योग्यता	आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या						TOTAL POST
							GEN	BC	MBC	SC	ST	WBC	
01	आशुलिपिक	5200-20200+2400	पर्यावरण एवं वन विभाग	इन्टर, आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता	--	--	09	-	06	05	--	01	21
02	सहायक उर्दू अनुवादक	5200-20200+2400	मंत्रिमंडल सचिवालय (उर्दू निदेशालय)	आई0ए0 पास मुख्य उर्दू के साथ हिन्दी की अच्छी जानकारी या समकक्ष	--	--	18	04	06	66	01	01	96
03	आशुटंकक/ आशुलिपिक (जिला उपभोक्ता फोरम)	5200-20200+2400	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	इन्टर	आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता (बेसिक/वर्ड्स)	--	30	07	10	09	03	02	61

					प्रोसेसिंग का ज्ञान)								
04	आशुलिपिक/आशुटंकक (नियोजन एवं प्रशिक्षण)	5200-20200+2400	श्रम संसाधन विभाग	इन्टर	आशुलेखन एवं कम्प्यूटर संचालन में दक्षता	--	01	--	01	02	01	--	05
05	पंचायत सचिव (नोट-दलपतियों को उम्र में शिथिलता दी जायेगी)	5200-20200+2000	पंचायती राज विभाग	इन्टर		कम्प्यूटर पर टंकण तथा एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान	1136	304	700	710	171	140	3161
06	निम्नवर्गीय लिपिक (जिला उपभोक्ता फोरम)	5200-20200+1900	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	इन्टर अथवा समकक्ष	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	16	05	09	09	04	02	45
07	नि0सू0लिपिक	5200-20200+1900	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	06	--	15	12	02	--	35
08	रीडर (राजकीय नेत्रहीन विद्यालय)	5200-20200+1900	समाज कल्याण विभाग (सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)	इन्टर	भारतीय पुनर्वास परिषद से केयर/गिभर ट्रेनिंग/फाउंडेशन कोर्स	भारतीय पुनर्वास परिषद से निर्बंधित	01	--	01	--	--	--	02
09	बुनाई अनुदेशक (राजकीय मूक बधिर मध्य विद्यालय)	5200-20200+1900	समाज कल्याण विभाग (सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)	इन्टर	भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यवसायिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा या आई0टी0आई0 से सर्टिफिकेट कोर्स	भारतीय पुनर्वास परिषद से निर्बंधित	01	--	--	--	--	--	01
10	निम्नवर्गीय लिपिक	5200-20200+1900	पर्यावरण एवं वन विभाग	इन्टर, कम्प्यूटर संचालन एवं टंकन ज्ञान	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	02	--	35	16	--	03	56
11	राजस्व कर्मचारी	5200-20200+1900	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	इन्टर	--	--	1962	340	945	853	98	155	4353
12	निम्नवर्गीय लिपिक (हिन्दी)	5200-20200+1900	मंत्रिमंडल सचिवालय (उर्दू निदेशालय)	इन्टर हिन्दी विषय के साथ	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	57	14	20	18	01	03	113
13	निम्नवर्गीय लिपिक (उर्दू)	5200-20200+1900	मंत्रिमंडल सचिवालय (उर्दू निदेशालय)	इन्टर उर्दू विषय के साथ	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	15	04	05	05	--	01	30
14	निम्नवर्गीय लिपिक	5200-20200+1900	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	36	08	13	11	01	02	71
15	निम्नवर्गीय लिपिक (क्षेत्रीय कार्यालय)	5200-20200+1900	परिवहन विभाग	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	06	07	10	10	0	03	36
16	निम्नवर्गीय लिपिक (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/कार्यालयों में)	5200-20200+1900	श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	04	--	26	35	06	06	77
17	निम्नवर्गीय लिपिक	5200-20200+1900	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	50	08	24	24	02	04	112
18	निम्नवर्गीय लिपिक	5200-20200+1900	निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन)	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	83	19	81	51	38	21	293

19	निम्नवर्गीय लिपिक	5200-20200+1900	कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	33	03	19	11	--	05	71
20	बेंच कर्क (जिला उपभोक्ता फोरम)	5200-20200+1900	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	06	03	04	05	01	--	19
21	बेंच कर्क	5200-20200+1900	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय)	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	19	05	07	05	--	01	37
22	निम्नवर्गीय लिपिक (बैकलॉग रिक्ति)	5200-20200+1900	निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	--	--	14	04	--	01	19
23	निम्नवर्गीय लिपिक	5200-20200+1900	निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	14	04	06	04	--	--	28
24	निम्न वर्गीय लिपिक	5200-20200+1900	समाज कल्याण विभाग (आई0सी0डी0एस0 निदेशालय)	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	10	02	04	02	--	--	18
25	शिल्प शिक्षक (राजकीय मूक वधिर मध्य विद्यालय)	5200-20200+1900	समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्तता निदेशालय)	इन्टर	भारतीय पुनर्वासि परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यवसायिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा या आई0टी0आई0 से सर्टिफिकेट कोर्स	भारतीय पुनर्वासि परिषद से निबंधित	01	--	--	01	--	--	02
26	निम्नवर्गीय लिपिक	5200-20200+1900	सा0प्र0वि0	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	90	18	40	30	01	05	184
27	निम्नवर्गीय लिपिक	5200-20200+1900	श्रम संसाधन विभाग (कर्मचारी राज्य बीमा योजना)	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	04	--	07	--	01	--	12
28	निम्नवर्गीय लिपिक (श्रमायुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों में)	5200-20200+1900	श्रम संसाधन विभाग	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	25	07	11	11	01	02	57
29	आशुलिपिक (श्रमायुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों में)	5200-20200+2400	श्रम संसाधन विभाग	इन्टर	आशुलेखन तथा टंकण का ज्ञान कम्प्यूटर के बेसिक/वर्ड्स/प्रोसेसिंग का ज्ञान	--	05	01	01	01	01	00	09
30	निम्नवर्गीय लिपिक (समाहरणालय)	5200-20200+1900	सामान्य प्रशासन विभाग	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	560	173	441	411	88	78	1751
31	बेच कर्क (समाहरणालय)	5200-20200+1900	सामान्य प्रशासन विभाग	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	01	--	01	--	--	--	02
32	आशुलिपिक (समाहरणालय)	5200-20200+1900	सामान्य प्रशासन विभाग	इन्टर	आशुलेखन, कम्प्यूटर टंकण एवं कम्प्यूटर संचालन	--	37	13	22	40	06	07	125

33	निम्नवर्गीय उत्पाद लिपिक	5200-20200+1900	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (उत्पाद एवं मद्य निषेध)	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	15	06	14	07	06	--	48
34	निम्नवर्गीय लिपिक	5200-20200+1900	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	35	08	13	11	01	01	69
35	सूचना सहायक ग्रेड-1	5200-20200+2400	पर्यटन विभाग	इन्टर एवं डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन (सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)	किसी विदेशी भाषा की जानकारी रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी ।	--	04	01	00	01	00	01	07
36	निम्नवर्गीय लिपिक (क्षेत्रीय स्थापना)	5200-20200+1900	जल संसाधन विभाग	इन्टर	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण	--	207	56	106	103	22	17	511
37	आर्शुटंकक (क्षेत्रीय स्थापना)	5200-20200+2400	जल संसाधन विभाग	इन्टर	आर्शुलेखन, कम्प्यूटर टंकण एवं कम्प्यूटर संचालन	--	58	16	20	19	01	02	116
38	कनीय लेखा लिपिक (क्षेत्रीय स्थापना)	5200-20200+2400	जल संसाधन विभाग	इन्टर		--	218	61	86	90	17	15	487
<b>कुल</b>							4775	1097	2723	2592	474	479	12140

उपर्युक्त सभी रिक्तियाँ औपबधिक है, जो घट-बढ़ सकती है । प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल के प्रकाशन के पूर्व जिन अधियाची विभागों के द्वारा दिनांक-31.03.2014 तक के लिए संशोधित रिक्तियाँ अथवा नयी रिक्तियाँ आयोग को संसूचित की जायेगी तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित कर लिया जायेगा । माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-12513/2014 में दिनांक-26.08.2014 में पारित आदेश के आलोक में सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय के द्वारा प्रेषित अधियाचनाओं पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई की जायेगी ।

**उम्र सीमा:- वनरक्षी:- दिनांक-01.08.2014 को न्यूनतम्-18 वर्ष । अधिकतम-अनारक्षित-23 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-25 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-28 वर्ष ।** परन्तु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक-01.08.2013 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर इस परीक्षा के पात्र होंगे ।

**शेष सभी पदों के लिए:-**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) की संकल्प संख्या-2530, दिनांक-29.06.2010 के अनुसार उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.08.2014 के आधार पर की जायेगी । परन्तु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक-01.08.2013 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर इस परीक्षा के पात्र होंगे ।

**न्यूनतम आयु- 18** (अठारह) वर्ष ।

**अधिकतम आयु-**(1) अनारक्षित (पुरुष)-37 वर्ष । (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)-40 वर्ष । (3) अनारक्षित (महिला)-40 वर्ष । (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष ।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक-2374 दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों, को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है । साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक-62, दिनांक-05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों का छूट अनुमान्य है ।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते की उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो ।

**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-** प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को इन्टर उत्तीर्ण होना आवश्यक है । जिन अभ्यर्थियों का परीक्षाफल उक्त तिथि तक प्रकाशित नहीं हुआ हो, वे इस परीक्षा के लिए अयोग्य होंगे ।

**आरक्षण :-** उपर्युक्त सभी पदों के लिए ।

- (i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70, दिनांक- 11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय है ।
- (ii) पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र जिसमें क्रीमीलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, मान्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा । ऑनलाईन आवेदन के समय यह प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु काउंसेलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा । अभ्यर्थी आवेदन-पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आते हों उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे ।

- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा ।
- (iv) प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे, वही मान्य होगा । यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है, तो वह मान्य नहीं होगा ।
- (v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या-62, दिनांक-05.01.2007 के प्रावधान के आलोक में मात्र श्रेणी-B के पदों में विकलांगों को 3% (1% दृष्टि निःशक्तता, 1% मूकबधिर निःशक्तता तथा 1% चलन निःशक्तता) आरक्षण देय है । यदि किसी रिक्ति के किसी उपर्युक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जायेगा तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगले वर्ष में अग्रणित की जायेगी ।

#### **परीक्षा शुल्क (प्रारंभिक परीक्षा) :-**

अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के लिए तीन सौ रूपये (300/-) का तथा मात्र वे उम्मीदवार जो बिहार के स्थायी निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के भी हैं, 75/- (पचहत्तर रूपये) परीक्षा शुल्क बैंक चालान भारतीय स्टेट बैंक के किसी शाखा में जमा करेंगे । बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 300/- (तीन सौ रूपये) निर्धारित है । चालान जमा करने के संबंध में विस्तृत अनुदेश एवं चालान की प्रति आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे डाउनलोड कर अभ्यर्थी उपयोग में लायेंगे । **अभ्यर्थी चालान की B.S.S.C. Copy अपने पास सुरक्षित रखेंगे तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम के पश्चात प्रमाण-पत्रों की जाँच के समय मांग किये जाने पर प्रस्तुत करेंगे ।** निर्धारित शुल्क का चालान भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में दिनांक-02.09.2014 से 08.10.2014 तक बैंक के कार्यावधि में जमा किया जा सकेगा ।

**परीक्षा: उपर्युक्त सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा दो चरणों में ली जाएगी ।**

**1. प्रारंभिक परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान (प्रारंभिक) का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे:-**

- (क) सामान्य अध्ययन-प्रश्नों की संख्या-50 होगी ।
- (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित-प्रश्नों की संख्या-50 होगी ।
- (ग) मानसिक क्षमता जाँच (Comprehension/Logic/Reasoning/Mental Ability)- प्रश्नों की संख्या-50 होगी ।

प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे । प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी । परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी । प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा । अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे ।

प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जायेगी । प्रत्येक खण्ड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी । हस्तलिखित/छाया प्रति ले जाने की अनुमति नहीं होगी । पुस्तक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा ।

**सिलेबस:- प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है:-**

**खंड (क):- सामान्य अध्ययन:-** इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा । वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है । इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

- (i) सम-सामयिक विषय:- वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं ।
- (ii) भारत और उसके पड़ोसी देश:- पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में बिहार का योगदान ।

**खंड:- (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित:-** इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं :-

- (i) सामान्य विज्ञान:- भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल ।
- (ii) गणित:- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि ।

**खंड:- (ग) मानसिक क्षमता जाँच:-** इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं । इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:- सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या ।

अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है । विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जायेगी ।

प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध (अधियाचित) रिक्तियों के लगभग 05 गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जायेगा । मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा ।

**अन्य:-** (i) वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा । प्रवेश-पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी ।

किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/ अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

- (ii) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/ किसी राज्य लोक सेवा आयोग/ अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो ।
- (iii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा ।

**महत्वपूर्ण:-** अभ्यर्थियों को निदेशित किया जाता है कि वे आवेदन पत्र की प्रविष्टियों को भरने से पूर्व पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि उनके द्वारा भरी गई प्रविष्टियाँ पूर्णतः सही हैं । बाद में किसी भी परिस्थिति में इसमें सुधार/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

**अंतिम तिथि :-**

ऑनलाईन आवेदन दिनांक 01.09.2014 से 11.10.2014 की रात्रि 12 बजे (Server Time) तक आयोग के वेबसाईट <http://bssc.bih.nic.in> पर भरा जा सकता है ।

ह0/-

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना